

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 17]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 12, 2016/पौष 22, 1937

No. 17]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 12, 2016/ PAUSA 22, 1937

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 12 जनवरी, 2016

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

(इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) (संशोधन) विनियम, 2016

सं. सेबी/ एल. ए. डी.-एन.आर. ओ./ जी. एन./ 2015-16/ 030. —बोर्ड, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 21क के साथ पठित धारा 31, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30, धारा 11 की उप-धारा (1) तथा धारा 11क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, 2009 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) (संशोधन) विनियम, 2016 कहा जा सकेगा।
2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, 2009 में, -

(I) विनियम 27 में, उप-विनियम (1) में, खंड (ख) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्-

"(ख) विनियम 8 के उप-विनियम (1ख) में निर्दिष्ट बोर्ड की बैठक की तारीख से ठीक पहले के बारह कलेंडर महीनों के दौरान प्रत्येक ऐसे मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में व्यापारित (ट्रेडेड) कंपनी के इक्विटी शेयरों की संख्या, ऐसी कंपनी के शेयरों की कुल संख्या के दस प्रतिशत से कम हो:

परंतु यह कि जहाँ कंपनी के विशिष्ट वर्ग के शेयरों की शेयर पूँजी ऐसी पूरी अवधि के दौरान समरूप न हो, तो वहाँ ऐसे वर्ग के शेयरों का भारित औसत (वेटेड एवरेज) कंपनी के ऐसे वर्ग के शेयरों की कुल संख्या को दर्शाएगा; और”

- (II) विनियम 27 में, उप-विनियम (3) में, खंड (ख) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्—

“(ख) सार्वजनिक शेयरधारकों (पब्लिक शेयरहोल्डर्स) को प्रस्तावित निकास कीमत (एग्जिट प्राइस) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 के विनियम 8 के उप-विनियम (2) के खंड (ङ) के साथ पठित इन विनियमों के विनियम 15 के उप-विनियम (2) के अनुसार तय की गई (अवधारित) निम्नतम कीमत (निम्नतम मूल्य / फ्लोर प्राइस) से कम नहीं होगी ;”

यू. के. सिन्हा, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असा./317]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, 2009, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2009-2010/09/165992 द्वारा, 10 जून 2009 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. मूल विनियम तत्पश्चात् :
 - (क) 8 अक्तूबर 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड {संस्थागत व्यापारिक (ट्रेडिंग) प्लेटफार्म पर विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता} विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी. एन. आर. ओ./जी.एन./2013-14/28/6720, द्वारा
 - (ख) 24 मार्च 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) (संशोधन) विनियम, 2015, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./ जी.एन./2014-15/27/541, द्वारा
 - (ग) 14 अगस्त 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./ जी.एन./2015-16/010, द्वारा संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 12th January, 2016

Securities And Exchange Board Of India (Delisting Of Equity Shares) (Amendment) Regulations,
2016

No. **SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/030** .-In exercise of the powers conferred by section 31 read with section 21A of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), section 30, sub-section (1) of section 11 and sub-section (2) of section 11A of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following Regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009, namely:-

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) (Amendment) Regulations, 2016.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009,-
 - (I) in regulation 27, in sub-regulation (1), for clause (b), the following shall be substituted, namely-
 "(b) the number of equity shares of the company traded on each such recognised stock exchange during the twelve calendar months immediately preceding the date of board meeting referred to in sub-regulation (1B) of regulation 8 is less than ten per cent of the total number of shares of such company:
 Provided that where the share capital of a particular class of shares of the company is not identical throughout such period, the weighted average of the shares of such class shall represent the total number of shares of such class of shares of the company; and"
 - (II) in regulation 27, in sub-regulation (3), for clause (b), the following shall be substituted, namely-
 "(b) the exit price offered to the public shareholders shall not be less than the floor price determined in terms of sub-regulation (2) of regulation 15 of these regulations read with clause (e) of sub-regulation (2) of regulation 8 of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;"

U. K. SINHA, Chairman

[ADVT. III/4/Exy./317]

Footnote:

1. The SEBI (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009, were published in the Gazette of India on 10 June, 2009 vide No. LAD-NRO/GN/2009-2010/09/165992.
2. The Principal Regulations were subsequently amended on:
 - (a) October 8, 2013 by the SEBI (Listing of Specified Securities on Institutional Trading Platform) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/28/6720.
 - (b) March 24, 2015 by SEBI (Delisting of Equity Shares) (Amendment) Regulations, 2015 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/27/541.
 - (c) August 14, 2015 by SEBI (Delisting of Equity Shares) (Second Amendment) Regulations, 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/010.